न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 380/2016

अनोप कंवर पुत्री स्व. श्री गिरधारी सिंह पत्नि श्री तेज सिंह जाति राजपूत, निवासीः प्लॉट नंबर 69, भगवती नगर द्वितीय करतारपुरा जयपुर हाल निवासीः ग्राम औसिया की ढाणी, भैरू सागर स्कूल, तहसील औसियां जिला जोधपुर, राजस्थान।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. तेज सिंह पुत्र स्व. श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासीः प्लॉट नंबर 69, भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर।
2. उप पंजीयक अधिकारी कोटखावदा/चाकसू, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील चाकसू/कोटखावदा, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.04.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 45/2011 उनवानी अनोप कंवर बनाम तेज सिंह में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को खारिज किया गया।

उपस्थितः

श्री अविनाश व्यास एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री हेमन्त सोगानी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 26.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 20.04.2016 प्रार्थना पत्र संख्या 45/2011 उनवानी अनोप कंवर बनाम तेज सिंह में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को खारिज किया गया के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किये जाने हेतु पेश किया। उपरोक्त मुकदमें की सम्मन तामील होने के पश्चात् प्रार्थीया की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2009 को अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता को जवाब दावा हस्ताक्षर करते समय यह निवेदन किया कि चूंकि वह महिला है और अपने पीहर जोधपुर में रहती है इसलिये प्रत्येक पेशी पर उसके लिये उपस्थित होना संभव नहीं है इन परिस्थितियों में मुकदमें में प्रार्थीया की व्यक्तिशः उपस्थिति जब भी आवश्यक होगी सूचना देने पर न्यायालय में उपस्थित हो जावेगी। इस पर प्रार्थीया के अधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि क्योकि दीवानी/रैवेन्यू प्रकरण है इसलिये उसे न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आवश्यकता नहीं है और प्रार्थीया की जब भी मुकदमे में आवश्यकता होगी उसे फोन से सूचित कर दिया जावेगा। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थीया के निवास स्थान के टेलीफोन नंबर व मोबाईल नंबर प्राप्त कर लिये। प्रार्थीया के आश्वस्त होने पर की मुकदमे में आवश्यकता होने पर उसके अधिवक्ता द्वारा उसे बुला लिया जावेगा। प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता से उक्त आश्वासन पर हर पेशी पर संपर्क नहीं किया। प्रार्थीया अपने अधिवक्ता के आश्वासन पर आश्वस्त हो गई। दिनांक 16.08.2009 को प्रार्थीया के अधिवक्ता के फोन से सूचना प्राप्त हुई की दिनांक 17.08.2009 को न्यायालय में पूर्व में लगे हुये हर्जे/कोस्ट 400/– रूपये की अदायगी करनी है इसके लिये 400/– रूपये भिजवाये जावे। प्रार्थीया दिनांक 16.08.2009 को ही सायंकाल स्वयं ही 400/– रूपये अपने अधिवक्ता को दे आयी। उसके पश्चात् प्रार्थीया के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थीया को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जब प्रार्थीया दिनांक 15.09.2011 को जयपुर अपने रिश्तेदार से मिलने आयी तो अपने अधिवक्ता से भी उक्त दिवस को उनके कार्यालय में जाकर उक्त मुकदमें के संबंध में जानकारी ली तो प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थीया को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और ना ही आगामी तारीख पेशी बतायी। इस पर प्रार्थीया को आशंका हुई और न्यायालय से उक्त मुकदमे में होने वाली कार्यवाही की जानकारी करवाने के लिये अपने परिचित अधिवक्ता को जानकारी करने व नकल निकलवाने हेतु वकालतनामा दिया गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने दिनांक 20.09.2011 को उपरोक्त मुकदमे की नकले प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और मुकदमें की समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 27.09.2011 को प्राप्त हुई। उपरोक्त प्रमाणित प्रतिलिपियां से स्पष्ट हुआ कि प्रार्थीया के उपरोक्त मुकदमे में दिनांक 08.12.2019 को प्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित हुये और उसके उपरान्त दिनांक 25.05.2010 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जिससे प्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। तत्पश्चात् प्रार्थीया ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से दिनांक 01.11.2011 को एक आवेदन बाबत निरस्त किये जाने डिक्री दिनांक 25.05.2010 हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया। जिस प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अपीलान्ट जोधपुर में निवास करती है एवं अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को आश्वस्त किया गया था कि प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जिस कारण अपने अधिवक्ता के विश्वास में रहने के कारण अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थी। अधिवक्ता की लापरवाही के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना गलत रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा गया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2016 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008 (1) डी.एन.जे. (राज.) 344, 2014 (1) डी.एन.जे. (राज.) 214 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि जयपुर में पारिवरिक न्यायालय में अपीलान्ट हर तारीख पेशी पर उपस्थित होती थी। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के समस्त आदेश व निर्णय की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। अपीलान्ट ने उदासीन रहते हुये वाद में कोई कार्यवाही नहीं की एवं प्रार्थना पत्र भी देरी से प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को भलीभांति समझकर सही निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट निराधार होने से खारिज फरमाई जावे।

4. उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2010 को वादी को खातेदार घोषित करते हुये डिक्री किया गया। जिसके विरूद्व प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 25.05.2010 को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी. सी. का प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04. 2016 को खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात् प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.04.2009 को मय अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। जिसके पश्चात् दिनांक 08.12.2009 को प्रतिवादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में की जाने वाली विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये दिनांक 25.05.2010 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्व प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. मियाद 30 दिवस के पश्चात् लगभग 17 माह बाद दिनांक 01.11.2011 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थीया द्वारा देरी बाबत अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने का कारण वर्णित किया एवं साथ ही यह भी वर्णित किया गया कि प्रार्थीया जोधपुर में निवास करती है एवं अधिवक्ता द्वारा आश्वस्त किया जाना कि प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, से आश्वस्त होने के कारण उक्त देरी हुई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 1 में विचाराधीन वाद तेजसिंह बनाम अनोप कंवर की प्रमाणित प्रतिलिपियां देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया प्रत्येक माह की तारीख पेशी पर पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित हुई है जिसमें उसके हस्ताक्षर ऑर्डरशीट पर मौजूद है। इस प्रकार एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने की तिथि 08.12. 2009 से दिनांक 01.11.2011 की अवधि तक अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया जाना पक्षकार की स्वयं की लापरवाही का द्योतक है। अधिवक्ता से संपर्क रखने का दायित्व या कर्त्तव्य पक्षकार का है। इस कारण अधिवक्ता से संपर्क न होने से देरी होने के वर्णित कारण किसी

राजस्व ...ल प्राधिकारी
जोधपुर

भी दृष्टि से सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा बावजूद जानकारी के जानबूझकर देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परिसीमा से बाहर होने के कारण सही खारिज किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर